**Fourteenth Loksabha**

**Session : 9**
**Date : 15-12-2006**

**Participants : Verma Smt. Usha**

>

Title: Regarding survival of the families dependent on the earnings of children due to banning of child labour.

**श्रीमती उाा वर्मा (हरदोई):** सभापति महोदया, बहुत ही महत्वपूर्ण और जनहित के मामला है। पिछले दिनों देश में बाल श्रम विरोधी कानून लागू हुआ था। इसमें किसी भी बच्चे द्वारा कोई भी कार्य करवाना गैरकानूनी है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है और इसके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को भी बहुत-बहुत बधाई देती हूं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह इन बच्चों पर आश्रित परिवारों द्वारा निर्भरता। लाखों घर ऐसे हैं, जो इन बच्चों की कमाई पर ही चलते हैं, इसलिए कि उनके माता-पिता अशक्त हो गये हैं और वे कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे कमाकर लाते हैं, उसी से उन परिवारों की रोजी-रोटी चलती है। ऐसे में उनके माता-पिता, जो अशक्त हैं, वे स्वयं नहीं कमा सकते हैं तो उनकी रोजी-रोटी कैसे चलेगी और उनके घरों में जो बीमार सदस्य हैं, उनका इलाज कैसे होगा या उनकी बहनों की शादी कैसे होगी, यह इस देश की बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक समस्या है। मैं सदन के माध्मय से माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह आग्रह करूंगा कि सरकार इस पहलू पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करे।